क्रमांक 1267-3एस-76/24570

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष,
मंडलों के आयुक्त तथा
सभी उपायुक्त तथा उप मंडल अधिकारी (सिविल)

दिनांक, चण्डीगढ 13 सितम्बर, 1976।

विषय :—उप मण्डल अधिकारियों (सिविल) द्वारा उप मण्डल स्तरीय कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट लिखने सम्बन्धी नीति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 3062-3एस-73, दिनांक 14-8-73 द्वारा जारी की गई हिदायतों के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों (उदाहरणतया उप पुलिस अधीक्षक तथा हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के उप मण्डल अधिकारी) की गोपनीय रिपोर्टों पर उप मण्डल अधिकारी (सिविल) द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपने विचार अलग शीट पर लिखकर उपायुक्तों को भेजे जाने हैं, उनके बारे में सम्बन्धित उप मंडल अधिकारी (सिविल) ने स्वयं ही अपने रिमार्कस लिखकर सम्बन्धित उपायुक्तों को भेजने हैं और इस बारे में सम्बन्धित उपायुक्त की ओर से किसी मांग पत्र की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

(क) सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी द्वारा दिया गया सहयोग

ख) ईमानदारी

भवदीय,

उप सचिव, सेवाए,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक-एक प्रति वित्तायुक्त तथा हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।